

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

संशोधन आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.07.2015 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार श्रीमती कृष्णा खुशलानी व्याख्याता अंग्रेजी, राकडमावि गुमानपुरा, कोटा की एसीपी स्वीकृत की गई है। इसमें कॉलम संख्या 09 में अंकित एसीपी स्वीकृत तिथि 18.12.2014 के स्थान पर 08.12.2014 संशोधन किया जाता है। शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/एसीपी/2015-16

दिनांक :- 25-11-2016

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
2. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.-1/II),
4. संबंधित संस्था प्रधान,
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं आदेश संख्या एफ. 11 (7)/वित्त (नियम) पार्ट -1/ 2008 दिनांक 06.10.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा में निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याताजी) को राजस्थान पुनर्रक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम-19 के तहत उनके ताम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) के वेतन ग्रेड (9,300-34,800) / (15,600-39,100) कॉलम संख्या 8 के अनुसार ग्रेड वेतन, कालम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम व पद स्थापन स्थान सर्व श्री / सुश्री / श्रीमती रा.उ. मा.वि.	जन्मतिथि	व्याख्यात विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता ग्रेड का वेतन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	राधेश्याम चम्पावत, राउमावि. बरुन्दनी, भीलवाडा,	20.07.57	भूगोल	08.07.85	डीपीसी	30वें	5400	08.07.16
2	बाबूलाल मीणा, रा.फोर्ट उमावि. बीकानेर	16.06.68	शा.शिक्षक	01.07.98	डीपीसी	20वें	5400	01.07.16

पुनर्रक्षित वेतनमान नियम-2008 के तहत इनक वेतन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण सम्बन्धित व्याख्याता का एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) स्वीकृति तिथि (कॉलम संख्या-9 में अंकित तिथि) को पुनर्रक्षित वेतनमान नियम-2008 में पूर्व में प्राप्त किये जाने वाले वेतन की 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि एवं ग्रेड वेतन की अन्तर राशि जोड़कर किया जावेगा। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे। राज्यधीन से पूर्व का ऐरियर अनुदानित संस्था से दाय होगा।

(बी.एल. स्वर्णकार)

आई०ए०एस
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक - 25/11/2016

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/एसीपी/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपनिदेशक (माध्य) शिक्षा
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्राध्यापक
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
5. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर